

न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

संजय



गहिपाल आदि

करम मुकदमा - प्रार्थना-पत्र विविध

मुकदमा नम्बर-

11 / 2025

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

10.02.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेश माथुर उपस्थित।

यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में विवाराधीन अपील प्रकरण संख्या 25/2024 बउनवानी संजय बनाम गहिपाल आदि में शीघ्र सुनवायी किये जाने बाबत पेश हुआ है।

अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगणों को जरिये रजि नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.02.25 को पेश हो।

(मुकुल शर्मा)

जिला कलक्टर, सीकर

नोटिस:-

127-37

10.2.25

18.02.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने जारी किये गये नोटिसों की Delivery Report पेश की है। अज्ञाती सं. 1 ता 4 एवं 6 के 7 को जारी नोटिस Delivered हो चुके हैं। अज्ञाती सं. 5 को जारी नोटिस Addressee left के अंकन के साथ लौटकर प्राप्त हुआ है। वकील प्रार्थी ने एक अविज्ञ बाबत अज्ञाती सं. 5 का नोटिस नीचे पेटे पर मिजवाये जाने का पेश किया है एवं सम्भन तलबाना पेश किया है। अज्ञाती सं. 5 की तलबी नीचे पेटे पर जरिये शिम. डाक से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 25.02.25 को पेश हो।

(मुकुल शर्मा)

जिला कलक्टर, सीकर

25.02.25

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. भन्व डायरी में व्यस्त है। पत्रावली एवं भादेशानुसार दिनांक 18.3.25 को पेश हो।

18.03.25

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. भन्व डायरी में व्यस्त है। पत्रावली एवं भादेशानुसार दिनांक 01.04.25 को पेश हो।

तारीख हुक्म

14/04/25 विविध अपील बाबत शीष्ट सुनवाई

01.04.25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार क्रियाक 15.04.25
को पेश हो। ३

15.04.25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06.05.25 को पेश हो।
A.H.

06.05.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रवर्षी उपस्थित।
अप्रवर्षी ले-1 ता 6 की ओर से इस पत्रावली
से सम्बन्धित मूल प्रवर्षा से अधिवक्ता उपोई।
चूंकि यह पत्रावली आवेदन बाबत शीष्ट सुनवाई
पेश किया गया है। इस पत्रावली से सम्बन्धित
मूल अपील प्रवर्षा की आज ही की तारीख
में सुनवाई के लिए निव्वह है। जिसमें उक्त
प्रवर्षा के अधिवक्ता उपस्थित है। इसलिए
इस आवेदन पत्रावली को आगे चलाने जैसे
का कोई ऑप्शन प्रवर्षा नहीं होता है।
अतः उपरोक्त शीष्ट सुनवाई इसी
स्था पर निवारित/स्थगित किया जाता है।
पत्रावली फौजल नुमाए होकर नम्बर देवस हो।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर